न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 88/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सहीराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी रामसर तहसील जायल।		1तुलछीदेवी पुत्री बंशीलाल पत्नी राधाकिशन जाति साद निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर। 2गोदावरी पुत्री बंशीलाल पत्नी सत्यनारायण जाति साद निवासी जीवणदेसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू। 3पूनमचंद 4ऋषभदेव पुत्रान गुमानी देवी व दामोदरदास निवासीगण गेनतालाब मुण्डवा। 5रामेश्वरी पत्नी बंशीलाल जाति साद निवासी रामसर तहसील जायल जिला नागौर। 6गंगाराम पुत्र केसूराम जाति साद निवासी रामसर तहसील जायल। 7तहसीलदार, जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री संजय कुमार उपाध्याय अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अनिल गौड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की ओर से।
3. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24.12.19

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा ग्राम अजबपुरा के नामान्तरकरण सं. 278 निर्णय दिनांक 14.09.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.12.2015 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 21.12.2015 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम अजबपुरा के नामान्तरकरण सं. 278 दिनांक 14.09.15 की फोटोप्रति, लिखापढी दिनांक 21.05.15 की फोटोप्रति, दीवादी वाद सं. 33/12 की फोटोप्रति, दीवानी वाद में प्रस्तुत राजीनामे की फोटोप्रति तथा अति. जिला न्यायाधीश के आर्डरशीट की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से श्री अनिल गौड अधिवक्ता तथा रेस्पाडेन्ट सं. 6 गंगाराम बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। रेस्पोडेन्ट सं. 7 तहसीलदार जायल की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि अपीलाधीन म्यूटेशन अपीलांट को नोटिस दिये बगैर अपीलांट के पीठ पीछे भरा गया। इसलिये अपीलांट को अपीलाधीन म्यूटेशन की किसी प्रकार की जानकारी नही हो सकी। अभी तीन दिन पहले अपीलांट को पटवारी से पता चला कि खसरा सं. 41 की भूमि अपीलांट के खातेदारी से हटाकर रेस्पोडेन्टस के नाम म्यूटेशन भरा गया है। जिस पर अपीलांट ने तत्काल म्यूटेशन की नकल निकलवाई। इससे पहले अपीलांट को अपीलाधीन म्यूटेशन की कोई जानकारी नही थी। इसलिये अपीलांट द्वारा समय भीतर अपील पेश नही की जा सकी। जिससे मामले को गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय किया जाना न्याय संगत है। जिसका प्रतिपक्ष द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मामले मे नरम रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन म्यूटेशन अवैध, अनाधिकृत, विधिविरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)–ग्राम अजबपुरा खसरा सं. 41 रकबा 95 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि की जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे के अपीलांट सहीराम ने खातेदार रामेश्वरी से प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की थी। अपीलांट सद्भाविक क्रेता था। खरीद के आद बेचान के आधार पर अपीलांट के नाम इस 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि का म्यूटेशन भरा जाकर अपीलांट के सहखातेदारी में यह भूमि दर्ज हो गई।

{2}(III)–रेस्पोडेन्ट ने इस बेचाननामे को निरस्त कराने के लिये दीवानी वाद प्रस्तुत किया। मगर अपीलांट ने रामेश्वरी को प्रतिफल राशि अदा करने के बावजूद विवाद मिटाने के लिये अन्य रेस्पोडेन्टस को और प्रतिफल की राशि अदा कर दी। इसके बदले रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की हद तक अपना दावा विड्रा कर लिया तथा माननीय न्यायालय ने भी अपीलांट की हद तक रेस्पोडेन्ट को वाद विड्रा करने की अनुमति दे दी। रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे व अलग से स्टाम्प पर लिख कर दी गई। लिखापढी में इस बात को स्वीकार किया कि अपीलांट के पक्ष में 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि का म्यूटेशन कायम रहेगा। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस अपने इन कथनो से बाउन्ड है और इसके विपरीत किसी तरह के अभिकथन करने से एस्टोप्ड है।

{2}(IV)–रेस्पोडेन्ट ने इससे पहले अपीलांट को पक्षकार बनाये बगैर राजस्व वाद एसडीओ जायल के यहां पेश कर एकतरफा में निर्णय करवा कर वादग्रस्त भूमि खातेदारी की घोषित करवा ली। इस निर्णय की कोई जानकारी अपीलांट को नही थी न ही अपीलांट को उस दावे के कभी नोटिस मिले। रेस्पोडेन्टस ने अपीलांट के साथ हुए राजीनामे के समय भी इस तथ्य की जानकारी अपीलांट को नही दी। इस निर्णय से अपीलांट पाबंद नही है और न ही यह निर्णय अपीलांट पर बाध्यकारी है। क्योकि अपीलांट को पक्षकार बनाये बगैर पीठ पीछे निर्णय पारित करवाया है। यह निर्णय प्रारंभ से अपीलांट के लिये शून्य व अवैध है और अपीलांट के अधिकारो को इस अपील मे तय करते समय माननीय न्यायालय इस निर्णय को पूर्णतया अनदेखा कर सकते है तथा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्लू 1998 (1) राज. पेज 127 से 133 नजीर पेश की।

{2}(V)–अपीलांट का आज दिन इस 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त है और अपीलांट ही इस खरीद की गई भूमि का खातेदार है।

{2}(VI)–अपीलांट को पक्षकार बनाये बगैर राजस्व वाद में हुए निर्णय की तहरीर तहसीलदार जायल व पटवारी वगैरा को मिलने पर उन्होने अपीलांट को नोटिस दिये बगैर अपीलांट की भूमि का म्यूटेशन भी रेस्पोडेन्ट के नाम भर दिया जबकि अपीलांट की 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि का म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट के नाम नही भरा जा सकता था।

{2}(VII)–अपीलांट जो कि खसरा सं. 41 का रेकर्डेड खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज था मगर फिर भी अपीलांट को अपीलाधीन म्यूटेशन भरे जाने से पूर्व तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया। राजस्व न्यायालय के निर्णय में भी अपीलांट पक्षकार बनाया हुआ नही था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार की जिम्मेदारी थी कि अपीलाधीन म्यूटेशन भरे जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य सबूत पेश करने का नोटिस देते। यदि नोटिस दिया जाता तो अपीलांट के साथ अन्याय नही होता और 17 बीघा 14 बिस्वा का म्यूटेशन रेस्पोडेन्टस के नाम नही भरा जाता। म्यूटेशन की संपूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपीलाधीन म्यूटेशन अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा वकील अपीलांट की बहस का विरोध नही किया गया है। जबकि विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील सहायक कलक्टर (एसडीओ) जायल के राजस्व वाद सं. 104/2012 निर्णय दिनांक 12.04.14 की अनुपालना मे भरा गया है। जो न्यायिक आदेश की पालना मे आता है। जिसे यहां चेलेन्ज नही किया जा सकता है। नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में नामान्तरकरण जैर अपील मौजा अजबपुरा के खसरा नं. 41 रकबा 95.08 बीघा भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के पक्ष मे स्वीकृति आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) जायल के राजस्व वाद सं. 104/2012 तुलछी देवी बनाम रामेश्वरी मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.14 की पालना मे भरा जाना प्रतीत होता है। नामान्तरकरण जैर अपील न्यायिक आदेश की अनुपालना मे भरा गया है। जो माफिक न्यायिक आदेश के अनुसार ही होने से इसमे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

अपर कलक्टर, नागौर

यदि अपीलांट न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) जायल के निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे सक्षम अपीलीय न्यायालय से राहत प्राप्त करनी चाहिये।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर